न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00265

बाबूलाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री पन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामकुंवार आयु बालिग आत्मज हजारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 41 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार खसरा नम्बर 88 के साथ–साथ अन्य भूमियों पर धन्ना, मोती पिसरान गणेश, नन्दकिशोर पुत्र हीरालाल, पन्ना, गणपत व रामकुंवार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित थे । वर्तमान जमाबन्दी अनुसार आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.59 हैक्टर, ,खसरा नम्बर 264 रकबा 3.19 हैक्टर ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 3.19 हैक्टर का खातेदार वादी है एवं शेष खसरा नम्बर 260 रकबा 1.59 हैक्टर व खसरा नम्बर 261 रकबा

1.59 हैक्टर का खातेदार प्रतिवादी बाबूलाल है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादी को अपने खाते की आराजी पर खातेदार के रूप में काबिज रहने का अधिकार है । वादी के इस अधिकार में किसी भी व्यक्ति को अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड का नक्शा रखने का दायित्व राजस्व विभाग का है । वादी को खातेदार के रूप में काबिज रहने व कृषि गतिविधियॉ करने का अधिकार है । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान जो नक्शा बनाया है वो नक्शा वादी के खाते में अंकित ख्सरा नम्बर 264 रकबा 3.19 हैक्टर भूमि के अनुसार नहीं बनाया गया है । नक्शे के अनुसार भूमि का नाप करने पर खाते में अंकित भूमि के अनुसार नाप नहीं बैठता है जिसके लिए भू–प्रबन्ध विभाग जिम्मेदार है । वादी मौके पर 3.19 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है । इसी प्रकार प्रतिवादी बाबूलाल 3.18 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है । प्रतिवादी बाबूलाल के खाते में जो भूमि अंकित है उसक पूर्ण विवरण पूर्व में अंकित किया गया है । बाबूलाल के खाते में जिस नाप की भूमि अंकित है नक्शे से नाप करने पर खाते में अंकित भूमि से अधिक भूमि बनती है । इसी का नाजायत लाभ बाबूलाल उठाना चाहता है और ताकत के बल पर वादी के खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 3.19 हैक्टर भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । भू–प्रबन्ध विभाग का पुराने नक्शे के अनुसार ही नया नक्शा तैयार करने का दायित्व है । भू–प्रबन्ध विभाग को नक्शे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत नक्शा बनाने से वादी के कानूनी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है । चूँकि खाते के अनुसार नक्शा नहीं है इसलिए हमेशा ही विवाद उत्पन्न होने की आशंका है । ऐसी स्थिति में वादी को नक्शा सही कायम करने हेतु दावा लाने का अधिकार है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के खाते में अंकित आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 3.19 हैक्टर वाके ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित भूमि के किसी भी हिस्से पर वादी के काबिज काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । प्रतिवादी कम 02 व 03 को आदेशित किया जावे कि वादी के खाते में अंकित कृषि भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 3.19 हैक्टर भूमि के नाप के अनुसार नक्शा कायम करें और उसी अनुसार नक्शें में संशोधन फरमाया जावे । यदि दौराने वाद प्रतिवादी कम 01 वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर ले जो उसे भूमि से बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदाखलत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिकी कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपने निर्णय एवं डिकी में अभिवचनों के विपरीत राजीनामे का कथन लिखकर उक्त वाद को डिकी करने में भारी कानूनी त्रुटि की है । वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने उक्त वाद में केवल नक्शे में तरमीम करने की प्रार्थना चाही गई थी और स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी बाबूलाल के कथनों के विपरीत राजीनामे में यह कथन अंकित कर दिया कि मौके पर भूमि का नाप व सीमाज्ञान करवाया जावे और राजस्व नक्शे में तदनुसार दुरूस्ती की जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के मात्र हस्ताक्षर करवाकर उक्त कथन अंकित कर दिये जो निरस्त होने योग्य है । वादी रेस्पोडेन्ट का

कहीं भी यह कथन नहीं रहा है कि मैंने उक्त निर्णय के बाद वादी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की हो उसके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की हो उसकी भूमि पर कब्जा किया हो फिर भी रेस्पोडेन्ट कम 02 एवं पुलिस थाना देईखेडा के सहयोग से उक्त भूमि पर जबरन सीमाज्ञान करवाकर अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि उक्त अपील इसलिए विलम्ब से पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट की उपस्थिति मात्र राजीनामे से जो कथन लिखे गये उसका पता अपीलान्ट को दिनांक 30.06.2019 को पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने पर हुआ जिस पर उनके द्वारा दिनाक 02.07.2019 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् वादी के द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ नक्शे में दुरूस्ती के लिए पेश किया था । दावे के द्वारा नक्शे में तरमीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई थी । दावे के विपरीत राजीनामा में यह अंकित कर दिया गया कि मौके पर भूमि का नाप और सीमाज्ञान करवाया जावे और राजस्व नक्शे में दुरूस्ती की जावे । अपीलान्ट के यह कहकर हस्ताक्षर करवाये गये हैं कि सिर्फ नक्शे में दुरूस्ती की जानी है । अपीलान्ट के द्वारा अपनी आराजी पर ही काश्त की जा रही है । इस निर्णय की आड में अपीलान्ट को इनके कब्जे की आराजी से सीमाज्ञान के नाम पर बेदखल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । दावे के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । वादी आराजी खसरा नम्बर 264 रकबा 3.19 हैक्टर के खातेदार हैं और प्रतिवादी खसरा नम्बर 260 रकबा 1.59 हैक्टर व खसरा नम्बर 261 रकबा 1.59 हैक्टर कुल 02 किता रकबा 3.18 हैक्टर के खातेदार हैं । भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा जो नक्शा बनाया गया था वो जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बर 264 रकबा 3.19 हैक्टर के अनुसार नहीं बनाया गया । वादी रकबा 3.19 हैक्टर पर काबिज काश्त है । वादी के द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । दोनों पक्षकारों के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा हुआ था और उस राजीनामा के अनुसार ही निर्णय पारित किया गया है। अपील विलम्ब से पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । पर्चा मौका दिनांक 26.06.2018 के अनुसार अपीलान्ट को मौके पर बुलाया गया परन्तु वो मौके पर उपस्थित नहीं हुए । सेक्शन 96 (3) और आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के अनुसार राजीनामे

से पारित निर्णय की अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006 (4) पेज 2817, डीएनजे 2020 (3) (राज0) पेज 697 उद्वरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में बरूए राजीनामा पारित किया गया है । पत्रावली पर पक्षकारों के मध्य हुआ राजीनामा संलग्न है । राजीनामे में वादी और प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं और राजीनामा को बाद तस्दीक पीठासीन अधिकारी के द्वारा शामिल मिसल किया गया है । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि राजीनामे पर उनके हस्ताक्षर करवाने के बाद तथ्य अंकित किये गये हैं तो इस बाबत् अपनी आपत्ति/रिव्यू प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.10.2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

पील संख्या : 2019/00265

बाबूलाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री पन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. रामकुंवार आयु बालिग आत्मज हजारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग, बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लांखेरी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 40/दावा/2016

रामकुंवार आयु बालिग आत्मज हजारी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी । ।

––वादी

बनाम

1. बाबूलाल बालिग आत्मज श्री पन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग, बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.10.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा